

सीमित निविदा सूचना 01/2023-24 (दर संविदा)

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत विद्यालय के छात्रावास में पाश्च्युक्त टोण्ड/समकक्ष पैकिंग दूध की आपूर्ति हेतु इच्छुक पंजीकृत फर्मों/संस्थाओं/कम्पनी से निम्नानुसार निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

(सीमित निविदा)

क्र. सं.	कार्य/सामग्री का विवरण	अनुमानित लागत (लाखों में)	निविदा प्रपत्र शुल्क	निविदा प्रपत्र विक्रय करने की दिनांक व समय	निविदाएं कार्यालय में जमा कराने की दिनांक व समय	निविदाएं खोलने की दिनांक व समय
01	विद्यालय के छात्रावास में पाश्च्युक्त टोण्ड/समकक्ष पैकिंग दूध की आपूर्ति बाबत	1.90	200/-	23.09.2023 से 02.10.2023 को दोपहर 11:00 बजे तक	23.09.2023 से 02.10.2023 को प्रातः 12.00 बजे तक	02-10-2023 को दोपहर 1.00 बजे

निविदा आमन्त्रण की शर्तें :-

- तकनीकी बोली उन्ही बोली दाताओं की खोली जायेगी जिनके द्वारा तय दिनांक व समय तक निविदा फार्म शुल्क राशि 200) के डिमाण्ड ड्राफ्ट जोकि **Principal, Devnarayan Govt. Girls Residential School choth ka barwada. S. Madhopur** के नाम से इस कार्यालय को जमा करवा दिया गया होगा।
- सीमित निविदा के निविदा प्रपत्र कार्यालय समय में कार्यालय से प्राप्त कर सकते है या www.sppp.rajasthan.gov.in पोर्टल पर जाकर डाउनलोड कर सकते है।
- निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी तथा निविदा या उसके किसी भाग को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा एवं सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी तथा निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
- प्राप्त निविदाओं को निर्धारित दिनांक व समय पर विद्यालय उपापन समिति एवं उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोला जायेगा। अपरिहार्य कारणों से निविदा उस दिन नहीं खोली जाने पर उसी समय उपस्थित निविदादाताओं को सूचित कर दिया जायेगा।
- सामान्य वित्तीय व लेखा नियम/राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 की समस्त शर्तें व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी समस्त निर्देश मान्य होंगे।
- सीमित निविदा में निविदादाताओं को तकनीकी व वित्तीय निविदा को अलग-अलग लिफाफों में सीलबन्द कर डालना होगा। तकनीकी निविदा में असफल निविदादाताओं की वित्तीय निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

प्रधानाचार्य

देवनारायण रा0बा0आ0वि0
चौथ का बरवाडा, स. माधोपुर

कमांक :- देव/राबाआवि/चौ. का बर./स. मा./2023-24/362-66

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है-

दिनांक:- 23.09.2023

- श्रीमान निदेशक महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
- श्रीमान अतिरिक्त निदेशक महोदय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (राईस), जयपुर।
- श्रीमान वित्तीय सलाहकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
- श्रीमान एनालिसट कम प्रोग्रामर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर को निविदा सूचना एवं निविदा प्रपत्र भेजकर निवेदन है कि नियमानुसार विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन का श्रम करावै।
- नोटिस बोर्ड स्थानीय विद्यालय/सूचना केन्द्र कलेक्ट्रेट/सान्याअवि चौथ का बरवाडा/उपकोष कार्यालय, स. माधोपुर।

प्रधानाचार्य

देवनारायण रा0बा0आ0वि0
चौथ का बरवाडा, स. माधोपुर